न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 04/2019 ::

जीसीएमएस नं. :: 2019/00271

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण		श्री जबरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

अधिवक्ता :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित
अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/2/21

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी श्री जब्बरसिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सिणला के पक्ष में 28.04.1976 को खसरा नंबर 610 रकबा 11–04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटित भूमि पर गैर कृषि (अवैध खनन) कार्य किया है जो आंवटन शर्तो की पालना के विपरीत कार्य है इस प्रकार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ खनन कार्य नहीं किया जा सकता है उक्त आराजी पर खनन कार्य किया जा रहा है जो पटवार हल्का डिगरना एवं भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा मौके पर पटवार हल्का डिगरना द्वारा लिए गए फोटोग्राफ भी पत्रावली संलग्न है। तहसीलदार जैतारण द्वारा मूल आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी जैतारण के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने बाबत एक प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न किया है आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर पेश की गई है। इसी को आधार मानकर आवंटन निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थी जबरसिंह के हक में दिनांक 28.04.1976 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी की और से कोई भी वकालतन एवं असालतन बावजूद नोटिस प्राप्त के भी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

बहस अधिवक्ता सरकारी पैरोकार सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला के पक्ष में दिनांक 28.04.1976 को खसरा नंबर 610 रकबा 11–04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। परंतु अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई तथा आवंटित भूमि पर गैर कृषि कार्य (अवैध खनन) किया है जो पत्रावली संलग्न आराजी के फोटोग्राफ एवं मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर अवैध खनन द्वारा 50 से 60 फीट खुदाई की हुई है तथा खुदाई से जो रेत निकली उसके 40–50 फीट उंचाई के टीबे लगाये हुए है। तहसीलदार जैतारण ने आवंटन रेकर्ड उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित नहीं होने बाबत पत्र अलग से संलग्न किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा गैर कृषि कार्य कर आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया जाने से उसके पक्ष में किए गए आवंटन को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन दिनांक 28.04.1976 को निरस्त किया जाता है एवं आवंटित आराजी को पुनः राजकीय सिवायचक सरकारी खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनाँक 22/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:17:02 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर पाली

जिला कलेक्टर, पाली